रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 371] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 21, 2019/ज्येष्ठ 31, 1941
No. 371] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 21, 2019/JYAISTHA 31, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जून, 2019

सा.का.नि. 440 (अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, का और संशोधन करने के लिए नियमों का प्रारूप मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 117(अ), तारीख 14 फरवरी, 2019 द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसमें प्रभावित व्यक्तियों से उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त राजपत्र की प्रतियां 14 फरवरी, 2019 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और, केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारूप नियमों की बाबत जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया गया है ;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 12, धारा 27 और धारा 118 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (पाचवाँ संशोधन) नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 में,-

(i) नियम 18 में, उप नियम (1) में खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(ड.) यदि नवीकरण किसी भारी माल यान और किसी भारी यात्री मोटर यान के चालन अनुज्ञप्ति के लिए है तो प्ररूप 5क में एक प्रमाण पत्र ।"

(ii) नियम 31 में, उप नियम (1) में, सारणी में, शीर्षक '(ड.)- मंझोले और भारी वाहनों की ड्राइविंग –ड्राइविंग थ्योरी -2' के अधीन, खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(घ) परीक्षण के लिए कम से कम एक गति अवरोधक और बायीं या दायीं ओर कम से कम एक मोड़ के साथ मार्ग का प्रयोग होगा।" ।

[फा. सं. आर टी-11028/14/2016-एमवीएल]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं. 246(E), तारीख 29 मार्च, 2019 द्वारा अंतिम रूप से संशोधित किए गए ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st, June, 2019

G.S.R. 440 (E).—Whereas the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 117 (E), dated the 14th February, 2019 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) inviting objections and suggestions from affected persons before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to public;

Whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 14th February, 2019;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 12, section 27 and section 118 of the Motor Vehicles Act, (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely: —

1. **Short title and commencement. -** (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Fifth Amendment) Rules, 2019.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, -

(i) in rule 18, in sub-rule 1, after clause (d), the following clause shall be inserted, namely: —

"(e) a certificate in Form 5A if renewal is for a licence to drive a heavy goods vehicle and a heavy passenger motor vehicle."

(ii) in rule 31, in sub-rule (1), in the Table, under the heading 'E. MEDIUM AND HEAVY VEHICLES DRIVING THEORY-II', for clause (d), the following clause shall be substituted, namely: -

"(d) Stretch with at least one speed breaker and at least one left or right turn, shall be used for testing.".

[F.No. RT-11028/14/2016-MVL]

PRIYANK BHARTI, Jt.Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended vide notification number 246(E), dated 29th March, 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.06.24 19:56:40 +05'30'